संख्या–2007/81-2-2023-800(117)/2023

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 18 जुलाई 2023

विषय- जनपद हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism prupose b/w Ch. 88+690 to 88+750 Khasra No. 2531of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garmukteswar District Hapur हेतु 0.048 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4021/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021 दिनांक 19.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हैण्डबुक ऑफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट-1980 के चैप्टर-54 के बिन्दु सं0-4.7 के अनुसार 0.1 हे0 तक की वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के सामान्य अनुमोदन की स्थिति उन मामलों में ही लागू होती है, जिस वन भूमि पर वन विभाग का स्वामित्व नही है। प्रश्नगत मामले में प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि (0.084 हे0) पर वन विभाग का स्वामित्व है अथवा नही ?

प्रश्नगत प्रस्ताव के जिओ0 रिफरेंन्स मैप में महादेव ढाबा, अल्लाह वक्सपुर गढमुक्तेश्वर जिला हापुड के संपर्क मार्ग के लिए वन भूमि के डाइवरजन का उल्लेख है, जबकि आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में विषय निम्नवत अंकित है:- Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism prupose b/w Ch. 88+690 to 88+750 Khasra No. 2531of NH-09 R.H.S. in Village Gar Banger Tehsil-Garmukteswar District Hapur हेतु 0.048 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी के प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के संबंध में।

कृपया उक्त के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीया,
Signed by नीता चौधरी
Date: 17-07-2023 16:49:03
Reason: Approved
(नीता चौधरी)
उप सचिव।

Jun 17, 2022, 01:18

Scanned with OKEN Scanner